लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
106/2025(सू.अ.) **(GCMS 2025/282)**	**22-12-2025**	**13-01-2026**

उनवान

भूरी देवी पत्नि कालुराम खटीक निवासी बागुण्ड, हाल निवासी 01–ग–08 हाउसिंग बोर्ड, प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) (मोबाईल 9413460026)

अपीलार्थीया

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीया ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 14.11.2025 को प्रस्तुत किया, प्रस्तुत आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में भी लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थीया को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थीया द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक/सरिश्ता/प्र. सं./106/2025(सू.अ.)(13.01)/839 दिनांक 22.12.2025 से अपील मेमो एवं अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को प्रेषित करते हुये, प्रकरण में आगामी नियत दिनांक 13.01.2026 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थीया को भी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 13.01.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थीया नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुई। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2026/02 दिनांक 13.01.2026 से बिन्दुवार टिप्पणी/कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

1. यह कि श्रीमती भूरी देवी निवासी बागुण्ड, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् आवेदन पत्र दिनांक 14.11.2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ हैं।
2. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 01 से वांछित सूचना हेतु लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2025/281 दिनांक 18.11.2025 से अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना से अवगत करा दिया गया है। (प्रति संलग्न है।)
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना–पत्र के बिन्दु संख्या 02 से वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/राजस्व/12–12(38)2025–5817/1943 दिनांक 09.01.2026 से प्रार्थी को निः शुल्क भिजवाई जा चुकी है, जिसकी प्रति संलग्न हैं।
4. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना से प्रार्थी को अवगत करवा दिये जाने से वर्तमान में इस प्रकरण पर इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है जिससे प्रकरण पर अपील निस्तारण योग्य है।
5. यह कि प्रार्थी को वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवा दी गई हैं, अतः अपील अपीलार्थी निरस्त फरमाने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थीया को उसके द्वारा वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2026/281 दिनांक 09.01.2026 से निः शुल्क प्रेषित की जा चुकी है किन्तु लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थीया को जिस पत्रांक से सूचना प्रेषित की गई है उस पत्रांक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

281 दिनांक 09.01.2026 का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा अपीलार्थीया को उसके वर्तमान निवास के पते पर उक्त सूचना प्रेषित नहीं करके पुराने पते ग्राम बागुण्ड, तहसील भदेसर पर सूचना प्रेषित की गई है जबकि अपीलार्थीया ने अपने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना चाहने हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 22.10.2025 (कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 14.11.2025) एवं अपील मेमो दिनांक 15.12.2025 मे अपना वर्तमान पता स्पष्ट रूप से ''हाल निवासी 01–ग–08 हाउसिंग बोर्ड, प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़'' अंकित किया हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीया को उसके द्वारा वांछित सूचना प्राप्त होना स्पष्ट प्रतिवेदित नहीं है।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थीया आंशिक स्वीकार की जाती है तथा तथा अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि निर्णय प्राप्त होने के 10 दिवस में, अपीलार्थीया को उसके द्वारा वांछित सूचना की एक अतिरिक्त प्रति अपीलार्थीया के वर्तमान निवास के पते पर जरिये रजिस्टर्ड डाक से निःशुल्क भिजवाई जावे एवं पालना प्रतिवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ तथा अपीलार्थीया को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क प्रेषित की जावे।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(आलोक रंजन)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
(राजस्व) (जिला कलक्टर),
चित्तौड़गढ़ (राज.)